प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख,

दांडिक अपील क्र. 1094/1989

अपीलार्थी:

1. कंवल, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता-मोहनलाल, निवासी-लेंगा, थाना-लखनपुर, जिला-सरगुजा (मृत)
2. बोयाराम, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता-मंगल साय, निवासी-लेंगा, थाना। लखनपुर, जिला-सरगुजा
3. नरेश उर्फ रामनरेश, उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता-देवनारायण उर्फ दादू, निवासी-जयनगर,गोपालपुर, थाना-जयनगर, जिला. सरगुजा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थित: श्री ए.के. प्रसाद, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ।
श्री अखिल अग्रवाल, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान पैनल अधिवक्ता ।

निर्णय

(दिनांक– 13 नवंबर, 2007 को उद्घोषित किया गया)

1. अपीलार्थी बोयाराम और नरेश उर्फ राम नरेश ने सत्र विचारण संख्या.139/88 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा दिनांक 04–11–1989 को दिए गए निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें सामूहिक बलात्संग करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा–376 के तहत दोषसिद्ध ठहराया गया था और 10 साल के सश्रम कारावास की दंडादेश सुनाई गई थी।

2. यह निर्विवाद है कि सह–अभियुक्त कंवल, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा–376 के तहत भी दोषसिद्ध ठहराया गया था और उपरोक्त दंडादेश सुनाई गई थी, की इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि 17–10–1987 को लगभग 3:00 बजे, ग्राम लैंगा के फुलवार ढोडगा , पुलिस थाना लखनपुर, में अभियोक्त्री, उम्र लगभग 15 वर्ष, बुंदेली, (अभि०सा०–3) और गौतिनबाई, (प्रतिरक्षा साक्षी–1) के साथ जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके घर लौट रही थी। अपीलार्थीओं ने, कंवल के साथ मिलकर, उसे रास्ते में रोक लिया और लकड़ी फेंक दी। कंवल और दोनों अपीलार्थीओं ने अभियोक्त्री को पकड़ लिया और उसे फुलवार ढोडगा में घसीटकर ज़मीन पर गिरा दिया। बुंदेली, (अभि०सा०–3) और गौतिनबाई, (प्रति०सा०–1) भाग गए और अभियोक्त्री के माता–पिता, सिकुलराम, (अभि०सा०–2) और रसपतिया, (अभि०सा०–4) को सूचित किया। अभियोक्त्री पर चढ़कर, कंवल ने उसकी साड़ी और साया उठाकर, बोयाराम और नरेश को पकड़े हुए उसके साथ बलात्संग किया। इसके बाद, बोयाराम ने उसके साथ बलात्संग किया, जबकि कंवल और नरेश उसे पकड़े हुए थे। अंत में, नरेश ने उसके साथ बलात्संग किया, जबकि कंवल और बोयाराम उसे पकड़े हुए थे। बुंदेली से घटना की जानकारी मिलने पर, (अभि०सा०–3), सिकुलराम, (अभि०सा०–2) और रसपतिया, (अभि०सा०–4) मौके पर पहुँचे और कंवल को पकड़ लिया, जबकि दोनों अपीलार्थी भाग गए थे।

4. प्रथम सूचना प्रतिवेदन, **(प्र.पी-1)** अभियोक्त्री द्वारा अगले दिन, यानी 18–10–1987 को सुबह 10:30 बजे घटनास्थल से 30 किलोमीटर दूर स्थित पुलिस स्टेशन लखनपुर में दर्ज कराई गई थी। डॉ. श्रीमती शशि प्रभा जायसवाल, (अभि०सा०–5) ने 19–10–1987 को अभियोक्त्री की परीक्षण की और आंतरिक परीक्षण में पाया कि योनि सूजी हुई थी, खून के धब्बे मौजूद थे। कोमलता मौजूद थी, हाइमन फट गई थी और छूने पर तीन जगहों से खून बह रहा था। दर्द के कारण अभियोक्त्री योनि परीक्षण की अनुमति नहीं दे रही थी। स्लाइड तैयार की गई। यह राय थी कि अभियोक्त्री के साथ संभोग किया गया था। कंवल को 21–10–1987 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दोनों अपीलार्थी को 2/11/1987 को गिरफ्तार किया गया था, चिकित्सीय परीक्षण में, डॉ. आई.डी.भटनागर, (अभि०सा०–7) ने पाया कि कंवल और दोनों अपीलार्थी यौन संबंध बनाने में सक्षम थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. डॉ. श्रीमती शशि प्रभा जायसवाल, (अभि०सा०–5) ने 19–10–1987 को अभियोक्त्री के हरे रंग के पेटीकोट और लाल साड़ी का परीक्षण किया, जिन्होंने दोनों पर वीर्य और खून जैसे धब्बे पाए। रासायनिक परीक्षण की सलाह दी गई। चूँकि नरेश उर्फ राम नरेश का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन, में नहीं था, इसलिए तुलसाई, (अभि०सा०–9) ने 06–11–1987 को शिनाख्त परेड परीक्षण कराई। अभियोक्त्री, (अभि०सा०–1), बुंदेली, (अभि०सा०–3), सिकुलराम, (अभि०सा०–2) और रसपतिया, (अभि०सा०–4) ने अपीलार्थी नरेश उर्फ राम नरेश की पहचान की। अन्वेषण पूरी होने के बाद, दोनों अपीलार्थीओं और कंवल पर भारतीय दंड संहिता की धारा–376 सहपठित धारा–34 के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया।

6. अपीलार्थीओं ने दोष स्वीकार कर लिया, अपने निर्दोष होने का अभिवाक़ किया और गौतिनबाई, (प्रति०सा०–1) का परीक्षण किया, जिसने गवाही दी कि जंगल से लौटते समय, अभियोक्त्री द्वारा ढोई जा रही लकड़ियों का बोझ कंवल के कंधे से टकराकर गिर गया। अभियोक्त्री चिल्लाई, जिसके बाद गौतिनबाई, (प्रति०सा०–1) और बुंदेली, (अभि०सा०–3) घटनास्थल से घर पहुँच गए। अभियोजन पक्ष ने 17 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थीओं को भारतीय दंड संहिता की धारा–376 के तहत अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग करने का दोषसिद्ध ठहराया और ऊपर में दर्शाए कंडिका–1 के अनुसार अपीलार्थीओं को दंडादेश सुनाई गई ।

7. अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद ने तर्क दिया कि अपीलार्थी नरेश उर्फ राम नरेश का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में नहीं था और तुलसाई, (अभि०सा०–9) द्वारा की गई शिनाख्त परेड परीक्षण कानून की नजर में अपना महत्व नहीं रखती, क्योंकि तुलसाई, (अभि०सा०–9) ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि शिनाख्त परेड परीक्षण के समय, लखनपुर थाना के थाना प्रभारी मौजूद थे और साक्षियों से नरेश उर्फ राम नरेश की पहचान करने के लिए कह रहे थे। आगे यह तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री की परिसाक्ष्य, कि कंवल, बोयाराम और नरेश ने एक के बाद एक उसके साथ बलात्संग किया, जबकि उनमें से दो ने उसे पकड़ रखा था, अभियोक्त्री की माँ, (अभि०सा०–4), रसपतिया की परिसाक्ष्य के मद्देनज़र विश्वसनीयता के अयोग्य है कि बुंदेली, (अभि०सा०–3) द्वारा सूचित किए जाने पर, जब वह सिकुलराम, (अभि०सा०–2) के साथ घटनास्थल पर पहुँची, तो उसने देखा कि कंवल अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कर रहा था जबकि नरेश और बोयाराम ने उसे पकड़ रखा था। उन्हें देखकर, अपीलार्थी भागने लगे, जिस पर उसके पति सिकुलराम, (अभि०सा०–2) ने कंवल को पकड़ लिया। अभियोक्त्री द्वारा कंडिका–11 में इसकी संपुष्टि की गई कि उसके पिता ने केवल कंवल को पकड़ा था जबकि बोयाराम और नरेश भाग गए थे। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री की यह परिसाक्ष्य, कि अपीलार्थीओं ने उसके साथ यौन संबंध भी बनाए थे, पूरी तरह से विश्वसनीयता के अयोग्य है। यह भी तर्क दिया गया कि रासपतिया, (अभि०सा०–4) की परिसाक्ष्य ने सिकुलराम, (अभि०सा०–2) की परिसाक्ष्य को भी विश्वसनीयता के अयोग्य बनाया कि घटनास्थल पर पहुँचने पर उसने अपीलार्थी नरेश को अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाते देखा था। इन आधारों पर, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा–376 के तहत अपराध कारित के लिए अपीलार्थीओं को संदेह की छाया से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अखिल अग्रवाल ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। अभियोक्त्री ने गवाही दी कि फुलवार धोडगा के पास जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के बाद लौटते समय, कंवल,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बोयाराम और नरेश उससे मिले और सागौन की लकड़ी का गट्ठर फेंक कर, वे उसे धोडगा (जिसका अर्थ है: एक छोटा गड्ढा) की ओर ले गए और उसे जमीन पर गिराने के बाद, अपीलार्थी कंवल उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी साड़ी और साया उठाकर यौन संबंध बनाया, जबकि दोनों अपीलार्थीओं ने उसे पकड़ रखा था। उसने आगे कहा कि उसके बाद बोयाराम और नरेश उर्फ राम नरेश ने भी यौन संबंध बनाए, जबकि अपराध के अन्य दो अपराधियों ने उसे पकड़ रखा था। उसके साथ दर्दनाक यौन संबंध के बारे में अभियोक्त्री की परिसाक्ष्य डॉ. श्रीमती शशि प्रभा जायसवाल, (अभि०सा०–5) की परिसाक्ष्य से संपुष्टि होती है।

10. निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या अभियोक्त्री की यह परिसाक्ष्य है कि अपीलार्थीओं ने भी उसके साथ यौन संबंध बनाए या कंवल को उसका हाथ पकड़कर यौन संबंध बनाने में मदद की, विश्वास दिलाती है या नहीं। बुंदेली, (अभि०सा०–3) और गौतिनबाई, (प्रति०सा०–1) ने अभियोक्त्री के साथ अपीलार्थीओं या कंवल द्वारा किसी भी तरह के यौन संबंध के बारे में नहीं कहा। बुंदेली, (अभि०सा०–3) ने कहा कि अभियोक्त्री के सिर पर लकड़ी का बोझ कंवल द्वारा जमीन पर फेंक दिए जाने के बाद, वह गांव भाग गई और अभियोक्त्री की मां को सूचित किया। गौतिनबाई, (प्रति०सा०–1), अभियोजन पक्ष की साक्ष्य, जिससे बचाव पक्ष के साक्ष्य के रूप में परीक्षण की गई, जिसने पूरी तरह से अलग संस्करण दिया है क्योंकि उसने घटनास्थल पर अपीलार्थीओं की उपस्थिति के बारे में नहीं कहा। उसने बताया कि जब कंवल के कंधे से लकड़ी का बोझ नीचे गिर गया, तो अभियोक्त्री चिल्लाई और उसके बाद वह अभियोक्त्री और बुंदेली, (अभि०सा०–3) के साथ घर लौट आई। इस प्रकार, बुंदेली, (अभि०सा०–3)और गौतिनबाई, (अभि०सा०–1) ने घटनास्थल, यानी ढोडगा, पर अपीलार्थीओं की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. रसपतिया, (अभि०सा०–4) और सिकुलराम, (अभि०सा०–2) अभियोक्त्री के माता–पिता हैं, जो बुंदेली, (अभि०सा०–3) द्वारा सूचित किए जाने पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। उनका परिसाक्ष्य विरोधात्मक है। रसपतिया, (अभि०सा०–4) ने गवाही दी कि घटनास्थल पर पहुंचने पर उसने कंवल को अभियोक्त्री के साथ संभोग करते देखा, जबकि दो अपीलार्थी, जिन्होंने उसे पकड़ रखा था, उन्हें देखकर भाग गए। उसके पति ने कंवल को पकड़ लिया। इसके विपरीत, सिकुलराम, (अभि०सा०–2) ने कहा कि घटनास्थल पर पहुंचने पर उसने नरेश को अभियोक्त्री के साथ संभोग करते देखा, जबकि कंवल और बोयाराम ने उसे पकड़ रखा था। रसपतिया (अभि०सा०–4) अभियोक्त्री की मां है और उसकी परिसाक्ष्य में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे पता चले कि वह जो कह रही थी वह सच नहीं था। कंडिका–11 में अभियोक्त्री द्वारा यह स्वीकृति कि घटनास्थल पर पहुँचने पर उसके पिता ने कंवल को पकड़ लिया था जबकि बोयाराम और नरेश भाग गए थे, रासपतिया, (अभि०सा०–4) की इस परिसाक्ष्य की भी संपुष्टि करती है कि घटनास्थल पर पहुँचने पर कंवल अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बना रहा थी क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो सिकुलराम, (अभि०सा०–2) ने नरेश को पकड़ लिया होता, जो उसके

अनुसार, अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाने में लिप्त था। इस प्रकार, सिकुलराम, (अभि०सा०–2) की परिसाक्ष्य संदिग्ध हो जाती है।

12. जहाँ तक शिनाख्त परेड का सवाल है, अपीलार्थी नरेश उर्फ राम नरेश का नाम अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में नहीं लिया था। तुलसाई, (अभि०सा०–9), जिन्होंने शिनाख्त परेड आयोजित कराई थी, ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि लखनपुर थाने के थाना प्रभारी मौजूद थे और अपीलार्थी नरेश उर्फ राम नरेश की ओर इशारा करते हुए साक्षियों से उसकी पहचान करने को कह रहे थे। इस प्रकार, शिनाख्त परेड, प्र.पी.–14, कानून की नज़र में अपना मूल्य खो देती है।

13. अभियोक्त्री ने कंडिका–8 में यह भी स्वीकार किया है कि घटना के तीन महीने बाद कंवल ने उससे विवाह कर लिया था। (अभि०सा०–2), सिकुलराम ने कंडिका–10 में यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने के तुरंत बाद उसने कंवल से अभियोक्त्री से विवाह करने को कहा था क्योंकि उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। सिकुलराम (अभि०सा०–2), ने यह भी स्वीकार किया है कि कंवल को पकड़ते ही उसने कंवल को लाठियों से पाँच बार मारा और उससे कहा कि अगर वह उसकी बेटी से प्यार करता है तो बलात्संग करने के बजाय उससे विवाह कर लेना चाहिए था। अगर उसने नरेश को अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाते देखा होता तो वह नरेश को यह बात बताई होती। उसने आगे स्वीकार किया कि उसके बाद उसने अभियोक्त्री की शादी कंवल से करवा दी थी। यह अनुमान कि बोयाराम और नरेश ने वास्तव में अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध नहीं बनाए थे, उपरोक्त से भी समर्थित होता है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में इस बात पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि क्या अपीलार्थीओं ने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अभियोक्त्री ने कंडिका–20 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके सिर पर लकड़ी का बोझ डालने के बाद केवल कंवल ही उसे पकड़कर ढोडगा की ओर ले गया था। उसने कंडिका–24 में आगे स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने पर सिकुलराम (अभि०सा०–2) ने अपीलार्थीओं का पीछा नहीं किया, बल्कि केवल कंवल को पकड़ लिया था। बुंदेली, (अभि०सा०–3) जो एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसने भी कंडिका–5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल कंवल ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़ा था। उसने यह गवाही नहीं दी कि अपीलार्थीओं ने भी अभियोक्त्री को पकड़ा था या उसे ढोडगा की ओर घसीटा था। प्रतिवादी साक्ष्य द्वारा सिकुलराम (अभि०सा०–2) से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि कंवल और अभियोक्त्री के बीच अयुक्त संबंध था, जिसे प्रत्याख्यान कर दिया गया।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, यह स्पष्ट है कि तुलसीदास, (अभि०सा०–9) द्वारा अपीलार्थी नरेश उर्फ राम नरेश की शिनाख्त परेड परीक्षण का कानून की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। अपीलार्थी नरेश उर्फ राम नरेश का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में नहीं था। रसपतिया (अभि०सा०–4), की परिसाक्ष्य से यह अत्यंत अनाधि संभाव्य और शंकास्पद हो जाता है कि अपीलार्थीओं ने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाए थे। बुंदेली (अभि०सा०–3), कि यह स्वीकृति कि केवल कंवल ने अभियोक्त्री को घसीटा

था और अभियोक्त्री द्वारा यह स्वीकृति कि उसके पिता ने कंवल को केवल घटनास्थल पर ही पकड़ा था, अभियोक्त्री की परिसाक्ष्य को भी शंकास्पद बना देता है कि अपीलार्थीओं द्वारा उसके साथ यौन संबंध भी बनाए गए थे।

16. यह सच है कि यौन संबंध के विषय में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होती है, लेकिन उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, संदेह का तत्व मौजूद है कि अपीलार्थीओं ने न तो अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाने में कंवल की सहायता की और न ही कंवल के ऐसा करने के बाद उसके साथ यौन संबंध बनाए। संभावना है कि अपीलार्थीओं को बलात्संग करने में कंवल की सहायता करने और उसके बाद अभियोक्त्री के साथ एक के बाद एक यौन संबंध बनाने के लिए गलत तरीके से फंसाया गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस संभावना को इस तथ्य के दृष्टि मे भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि लखनपुर थाना के थाना प्रभारी शिनाख्त परेड परीक्षण के दौरान उपस्थित थे और साक्षियों से अपीलार्थी नरेश उर्फ राम नरेश की पहचान करने के लिए कह रहे थे, जिसका नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में नहीं था, उसकी ओर इशारा करके।

17. **रघुनाथ विरुद्ध हरियाणा राज्य व अन्य [(2003) 1 एस.सी.सी 398]** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "**33.** ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हमारा स्पष्ट मत है कि अभियोजन पक्ष ने सच्ची कहानी नहीं गढ़ी है। उसने तथ्यों को छिपाया है। यदि ऐसा है, तो अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी दलदल में धँस जाएगी। अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अब यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, एक अभियुक्त के पक्ष में और दूसरा उसके प्रतिकूल, तो अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. यह बिल्कुल सच है कि अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का दायित्व है। दांडिक मामलों में साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में न्यायालयों द्वारा निर्धारित सावधानी का यह एक नियम है। **विजयी सिंह एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, [ए.आई.आर 1990 एस.सी 1459]** में, सर्वोच्च न्यायालय ने युक्तियुक्त संदेह की अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार समझाया है:

> "यह तर्क दिया जा सकता है कि 'युक्तियुक्त संदेह' की अवधारणा अस्पष्ट प्रकृति की है और धारा 105 के तहत 'सबूत के भार' का मानक कुछ हद तक विशिष्ट होना चाहिए, इसलिए, दोनों में समाधान करना कठिन है। लेकिन दांडिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों, अर्थात् अभियोजन पक्ष को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा और अभियुक्त युक्तियुक्त संदेह के

लाभ का हकदार है, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। " युक्तियुक्त संदेह" वह है जो एक प्रज्ञावान और विवेकशील व्यक्ति के मन में आता है। धारा–3 "साबित", "नासाबित" और "साबित नहीं हुआ" शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए, एक प्रज्ञावान व्यक्ति के दृष्टिकोण से परिस्थितियों के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में प्रमाण का मानक निर्धारित करती है। धारा इस प्रकार तैयार की गई है कि मन की दो स्थितियों के लिए, पहला, जिसमें कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में पूर्णतः निश्चित महसूस करता है, दूसरे शब्दों में, "विश्वास करता है कि वह विद्यमान है" और दूसरा, जिसमें यद्यपि वह किसी तथ्य के बारे में पूर्णतः निश्चित महसूस नहीं करता, फिर भी वह उसे इतना अत्यधिक संभावित समझता है कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति परिस्थितियों में उसके अस्तित्व की धारणा पर कार्य करेगा। अधिनियम, प्रज्ञावान व्यक्ति की आवश्यकता को एक उपयुक्त ठोस मानक के रूप में अपनाते हुए, जिसके द्वारा प्रमाण को मापा जा सके, साथ ही परिस्थितियों या अधिसंभाव्यता या अत्यंत अनाधि संभाव्यता की स्थिति को पूर्ण प्रभाव देने पर भी विचार करता है। किसी तथ्य को साबित कहे जाने से पहले परिस्थितियों में निश्चितता की इसी डिग्री पर पहुँचना आवश्यक है। किसी तथ्य को तब नासाबित कहा जाता है जब न्यायालय यह मानता है कि वह अस्तित्व में नहीं है या एक प्रज्ञावान व्यक्ति की दृष्टि में उसके अस्तित्वहीन होने को इतना संभावित मानता है और अब हम तीसरे चरण पर आते हैं जहाँ एक प्रज्ञावान व्यक्ति की दृष्टि में तथ्य साबित नहीं हुआ है, अर्थात जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित। यह वह संदेह है जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में आता है, जिसे दांडिक विवादों के क्षेत्र में कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह नैतिक दृढ़ विश्वास से अलग है और यह संदेह से भी अलग है। यह 'एक प्रज्ञावान व्यक्ति' द्वारा अभिलेख में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री की गहन जाँच की प्रक्रिया का परिणाम है।"

19. एक बार जब अभियोजन पक्ष की कहानी में गंभीर संदेह पैदा हो जाता है और दोनों अपीलार्थीओं द्वारा अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाना असंभव हो जाता है, तब प्रथम सूचना प्रतिवेदन, (प्र.पी-1). का यह हिस्सा, और अभियोक्त्री की परिसाक्ष्य, कि दोनों अपीलार्थीओं ने कंवल द्वारा बलात्संग किए जाने के दौरान उसे पकड़ रखा था, भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष सच्ची कहानी पेश नहीं कर पाया है। ऐसी परिस्थितियों में, यह कहा जा सकता है कि एक युक्तियुक्त संदेह है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा–376 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीओं का अपराध साबित करने में विफल रहा है। संदर्भित तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थीओं को सामूहिक बलात्संग के अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यदि ऐसा है, तो अपीलार्थीओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी दलदल में धंस जाएगी और यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थीओं के खिलाफ युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

20. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय, जहाँ तक वह वर्तमान अपीलार्थीओं से संबंधित है, अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी बोयाराम और नरेश उर्फ राम नरेश को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा–376 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। दोनों अपीलार्थीओं को तत्काल अभिरक्षा से रिहा किया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो।

सही /-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By — ADV. ANANDITA PRATHNA BEHRA